रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 92] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 1972/वैशाख 8, 1894

No. 92] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 1972/VAISAKHA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

RESOLUTION

New Delhi, the 24th April, 1972

No. CI-13(11)/70-FPC.—In continuation of the Resolution No. CI-13(11)/70, dated the 22nd October, 1971 published in the Gazette of India Extraordinary No. 170, dated 23rd October, 1971, the Government of India is pleased to allow the Fuel Policy Committee time till 31st October, 1972 for submission of its report.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary for general information.

S. B. LAL, Jt. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1972

संख्या का० 1-13(11)/70-ई० नी० स० .—भारत सरकार भारत के राजपत्र असाधारण सं० 170, तारीख 23-10-71 में प्रकाशित संकल्प सं० को० 1-13(11)170, तारीख 22 अक्टूबर, 1971 के अनुक्रम में, ईंधन नीति समिति को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 अक्टूबर, 1972 तक का समय सहर्ष अनुज्ञात करती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति से समस्त सम्बन्धितों को संसूचित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया जाए ।

शरण बिहारी लाल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972